भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1290
03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि का हस्तांतरण

1290. श्री विजय बघेल:
क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेल बोर्ड की दिनांक 10.01.1990 की 152वीं बैठक और दिनांक 28.11.1997 की 236वीं बैठक में भिलाई इस्पात संयंत्र की 290.26 एकड़ और 151.46 एकड़ भूमि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार (वर्तमान में वार्ड नवाई बस्ती, मरोदा और जिला दुर्ग के नगर निगम रिसाली के अन्य वार्डों) को हस्तांतरित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन भूमि का हस्तांतरण आज तक लंबित है जिसके कारण दुर्ग संसदीय क्षेत्र में असंतोष है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त भूमि का हस्तांतरण कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री एच.डी. कुमारास्वामी)

(क) और ख) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को 290.26 एकड़ और 151.46 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर सेल बोर्ड की क्रमश: 152वीं और 236वीं बैठक में सहमति हुई थी। भूमि हस्तांतरण की स्थिति इस प्रकार है:

(i) 290.26 एकड़ भूमि के संबंध में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (भिलाई इस्पात संयंत्र) द्वारा दिनांक 22.01.2022 को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और स्वामित्व हस्तांतरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

(ii) 151.46 एकड़ भूमि के संबंध में, सीमांकन और सर्वेक्षण दिनांक 04.09.2021 को पूरा हो गया है और भूमि के हस्तांतरण के लिए एक मसौदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) सेल (भिलाई इस्पात संयंत्र) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को दिनांक 15.12.2022 को भेजा गया।

*****